

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

उ नं०- 53/2019

तारीखरजू- 25/19

उनवान:- नवलेराम बनाम रमेश वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक

25/7/19

फर्द अहकाम

प्रार्थी की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा०टि०एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 26.8.19 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

29-04
25/7/19

26.8.19 प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं है।
P.O. सं. डबकाश पटपधारे की बाहेर रजिस्टर अंशेखा सं. 20.9.19
को पेश हो।

20.9.19 प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थीगण के उपस्थित नहीं होने से
उनके विरुद्ध एक पक्षीय वादविही की जाती की बाहेर कल
दिनांक 17.10.19 को पेश हो।

17.10.19 प्रार्थी वकील उप०। बहस हेतु दिनांक 1-11-19 को पेश हो।

1-11-19 प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुरेश चंद शर्मा
Adv. ने वकालतनामा के साथ प्रार्थनापत्र 09 R.7 C.P.C. पेश
की। प्रार्थनापत्र की प्रति प्रार्थी वकील ने प्राप्त की। दर० का
जवाब पेश करने दिनांक 13-11-19 को पेश हो। P.O. सं. डबकाश
पधारे की दि० 13-11-19 को पेश हो।

13-11-19 वकालत उप०। गतनुसार दि० 16-12-19 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला


फर्द अहकाम

ताक

16-12-18

फार्मि राजीनामा
होगा नारी
डिक्टर
NOT Press
15/12/18

परिचरीत ने पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गेन
से Not Press कर यह प्रार्थना पत्र अख्याई निवेधन
खारिज कगे का कयन कि। प्रार्थना पत्र दावा पत्रावली
मे शामिल है प्रार्थना पत्र अख्याई निवेधन
Not-Press के खारिज किया जाता है पत्रावली
कैसल नुमार होकर नुम्हा से कम होकर दावा पत्रावली
के साथ संलग्न रहे।


उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

